मै0 जय धौलीनाग माइन्स एण्ड मिनरल्स ग्राम–जसपुर, तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 05.08.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 जय धौलीनाग माइन्स एण्ड मिनरल्स तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 4.27 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 02.07.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 05.08.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2024 प्रातः लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल तहसील काण्डा जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था पी0एण्डएम0 सौल्यूशन नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना को DEIAA बागेश्वर के पत्र संख्या– 17/DEIAA/BAG-EC-2017-18 दिनांक 16.08.2016 द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्रदान की थी

क्रमशः–2

जिसके तहत खनन कार्य किया जा रहा था परन्तु एनजीटी के आदेशानुसार ईसी पुर्नमूल्यांकन के लिए SEIAA में आवेदन किया गया है। ईआईए अधिसूचना,2006 और इसके बाद के संशोधन के अनुसार ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रस्तावित परियोजना का टीओआर SEIAA उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 29.08.2023 द्वारा जारी किया गया है। जिसके तहत जनसुनवाई की जा रही है। माईनिंग/खनन समयान्तर्गत देश/प्रदेश के राजस्व के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है। एमओईएफ एण्ड सीसी, नई दिल्ली राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर,2006 और उसमे समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार, प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी बी 1 परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 38 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्र यथा आवासीय भवन, मोटर मार्ग, पहुँच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युल लाईन व धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है। खदान पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि गैर वन कृषि भूमि है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत धूल को दबाने के लिए शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी के छिड़काव का प्राविधान किया गया है। सोपस्टोन खनन में कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। प्रस्तावित माईन में कार्य करने हेतु 03 पिट प्रस्तावित की गई हैं, माईन में कार्य सेमी मेकेनाईज्ड पद्धति से किया जायेगा, ऊपरी सतह में निकाली गई मिट्टी को लीज क्षेत्र में रखा जायेगा, खदान क्षेत्र में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खदान में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम 05 वर्षों में कुल– 88,752 टन अनुमानित मात्रा का उत्पादन किया जाना है। वन जीवन की संवदेनशीलता एवं महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में श्रमिकों व वाहनों के आवागमन के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए इससे वन विखण्डन, अतिकमण और मानव पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमन्य सीमा के भीतर होगा। खदान का संचालन खनन की ओपनकास्ट सह अर्ध–मशीनीकृत विधि से किया जायेगा। अयस्क की कठोर प्रकृति के कारण किसी अन्य वैकल्पिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जायेगा। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा।

क्रमशः–3

परियोजना के माध्यम से सी0ई0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट की कुल धनराशि रू0– 3.50 (लाख में) रखी गयी है जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रथम वर्ष में धनराशि रू0– 7.30 (लाख में) एवं बाद के वर्षों हेतु रू0– 6.10 (लाख में) का प्राविधान रखा गया है। खनन क्षेत्रान्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जन शक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगों को वरीयता प्रदान की जायेगी। मानसून प्रारम्भ होने से पहले सभी खनन गढढों को अपशिष्ट पदार्थ द्वारा भरकर समतल कर लिया जायेगा ताकि बरसात में अपशिष्ट पदार्थ के रिसाव की रोकथाम की जा सके समतलीकरण किये हुये भूमि पर मानसून सत्र के दौरान खेती की जायेगी। नालों में चैक डैम भी बनाये जायेंगे, ताकि बरसात का साफ पानी चैक डैम के माध्यम से निकल जाय तथा अपशिष्ट पदार्थ चैक डैम की सतह पर एकत्रित हो सके। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री बलवन्त सिंह धामी ग्राम–ढफ्टी तहसील काण्डा बागेश्वर– श्री धामी द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्रान्तर्गत के वह भूमिधरी हैं। वर्ष,2024 में खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई खनन कार्य नहीं हुआ है विगत वर्ष खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य हुआ है।
2. श्री नीरज सिंह ग्राम–ढफ्टी तहसील काण्डा बागेश्वर– श्री नीरज सिंह द्वारा कहा गया कि खनन योजना पुरानी है हमें खनन से कोई आपत्ति नहीं है।
3. श्री खुशाल राम निवासी ग्राम–ढफ्टी तहसील काण्डा बागेश्वर– श्री खुशाल राम द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्रान्तर्गत उनकी भूमि है विगत वर्ष खनन कार्य हुआ वर्तमान में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। खनन क्षेत्र में कोई सड़क, रास्ता व पेयजल लाईन नहीं है। प्राथमिक विद्यालय भी प्रर्याप्त दूरी पर है। हमें खनन से कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमशः–4

4. श्री जगत सिंह धामी ग्राम–ढफ्टी तहसील काण्डा बागेश्वर– खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नही है।
5. श्री राजेन्द्र सिंह धामी ग्राम–ढफ्टी जसपुर तहसील काण्डा बागेश्वर– श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्रान्तर्गत के वह भूमिधरी हैं। खनन कार्य से हमें कोई समस्या नहीं है।
6. श्री दरवान सिंह ग्राम–ढफ्टी तहसील काण्डा बागेश्वर– खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
7. श्री श्रेय अग्रवाल (पट्टाधारक प्रतिनिधि)–पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वह गांव की समस्याओं व जरूरतों का त्वरित गति से निदान करेंगे। परियोजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा। खान नियमों के भीतर वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य किया जायेगा। खनन कार्य किसी को भी परेशान नहीं करेगा।

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा उपस्थित लोगों से पुनः सुझाव/आपत्तियों हेतु अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि आपसे प्राप्त सुझावों/आपत्तियों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा। आपसे प्राप्त सुझाव/आपत्तियां प्रस्तावित परियोजना के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा पट्टाधारक प्रतिनिधि से खनन क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक रास्तों, प्राकृतिक पेयजल स्त्रोतों, पेयजल लाईनों को संरक्षित करते हुए खनन कार्य करने, सीईआर लागत में प्राविधानित बजट से स्कूलों में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला/स्मार्ट क्लास की जो व्यवस्था की गयी है के संबंध में संबंधित विद्यालय से सम्पर्क कर प्रस्तावित कार्य पर व्यय किये जाने के संबंध में पृच्छा कर ली जाय यदि प्रस्तावित कार्य पर व्यय किये जाने की आवश्यकता न हो तो विद्यालय की अन्य गतिविधियों में विद्यालय की मंजूरी के अनुरूप किया जाना उचित होगा। पट्टाधारक वर्ष के प्रारम्भ में ही काश्तकारों से खनन अनुबन्ध कर लें और अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप ही कार्य करें। स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक परियोजना के माध्यम से कार्य रोजगार प्राप्त हो तो अच्छा है। रास्तों, नालों, पेयजल लाईनों, प्राकृति जल स्त्रोत व अन्य सार्वजनिक भूमि को संरक्षित करते हुए खनन कार्य होना चाहिए यदि खनन से कोई नुकसान होता है तो पट्टाधारक का उत्तरदायित्व है कि वह तत्काल उसका पुर्ननिर्माण करें। खनन से जहां सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वहीं परियोजना से ग्रामीणों को भी कुछ लाभ प्राप्त होता है तो यह आर्थिकी के दृष्टिगत अच्छा है। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राविधानित बजट रिटेनिंग वॉल के लिए प्राविधानित बजट को बढ़ाये जाने की विशेष आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधों को लगाने के साथ–साथ इस बात पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है

क्रमशः–5

कि जितने पौधे लगाये जा रहे हैं के सापेक्ष जीवित कितने पौध बच पा रहे हैं इसको देखना बहुत जरूरी है। पौधों की सुरक्षा आदि के दृष्टिगत टी--गार्ड, चौकीदार रखा जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित परियोजना के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी बात मौखिक एवं लिखित किसी भी माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति पंजिका में दर्ज की गयी।

संलग्नक-- यथोपरि।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मैं० जय धौलीनाग माइन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा ग्राम-जसपुर तहसील- काण्डा जिला-बागेश्वर में प्रस्तावित सोपस्टोन माइनिंग (क्षे० 4.27 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण÷

सुनवाई स्थल:- निकट परियोजना स्थल।
समय/तिथि:- प्रातः 11:00 बजे. दिनांक- 5/08/2024

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन. एस. नबियाल	अपर जिलाधिकारी बागेश्वर	[signature]
2.	डॉ० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
3.	भरत रावत	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4.	चन्द्रवल्लभ जोशी	[illegible] उ०प्र०नि० बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
5.	मंगलसिंह धामी	दपी -जसपुर	मंगलसिंह धामी
6.	भागवानसिंह	दपी -जसपुर	भागवानसिंह
7.	गोविन्दसिंह	दपी -जसपुर	गोविन्दसिंह
8.	[illegible]	दपी -जसपुर	[signature]
9.	दानसिंह	दपी -जसपुर	दानसिंह
10.	हरीशसिंह	दपी -जसपुर	हरीशसिंह
11.	राजपाल	दपी -जसपुर	राजपाल
12.	मनोजसिंह	दपी -जसपुर	[signature]
13.	बलवन्तसिंह	दपी -जसपुर	Bulsigh.
14.	दान सिंह	दपी -जसपुर	दान सिंह
15.	Neeraj Singh	दपी -जसपुर	Neeraj Singh
16.	जगतसिंह [illegible]	PA to ADM	[signature]
17.	[illegible]	रा० इ० नि०	[signature]
18.	गौतम सिंह [illegible]		
19.			
20.			
21.			

जन सुनवाई
खनन परियोजना – मै0 जय धौलीनाग माइन्स एण्ड मिनरल्स
जसपुर सोपस्टोन माइन (क्षेत्रफल – 4.27 है0)
ग्राम व पो0 – जसपुर, तहसील – काण्डा, जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सुनवाई स्थल – जसपुर, काण्डा, बागेश्वर
समय व तिथि – प्रातः11 बजे, दिनांक – 5 अगस्त 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी - हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्तावक – जगदीश धामी व अन्य
पर्यावरण सलाहकार – पी0 एण्ड एम0 सोल्यूशन, सी-88, सेक्टर 65, नोएडा – उ0प्र0